

सं: 797-ई/पालिसी/2020/ Accommodation

वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी, उमरे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, उमरे, झांसी वर्कशॉप, झांसी।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण, उमरे, इलाहाबाद।

उप मुख्य वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी, उमरे, इलाहाबाद।

वरि.कार्मिक अधिकारी, उमरे, रेल सिप्रगं कारखाना, सिधौली।

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/जी.एस.डी., उमरे, झांसी।

उप मुख्य विद्युत इंजी., उमरे, झांसी वर्कशॉप, झांसी।

उप मु.इंजी./टीएमसी/लाईन, उमरे, झांसी।

उप मु.इंजी./ब्रिज/लाईन, उमरे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

उप मुख्य इंजी./सीपीओएच, उमरे, इलाहाबाद।

उप मुख्य इंजी./सी.एस.पी., उमरे, इलाहाबाद।

Sub: Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on their deputation to National Capital Region Transport Corporation (NCRTC).

Ref: Railway Board letter no. E(G)2019 RN 2-7 dated 31.12.2019.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(G)2019 RN 2-7 दिनांक 31.12.2019 की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Policy letters Circulated under NCRPS may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in (About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

संलग्नक- यथोक्त।

V.P. Singh
(V.P. Singh)
SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।
2. महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।

23/01/2020 (175)

